


11.07-23

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष (अप) अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है। विस्टिट निर्णय पृथक् से लिखाया जाकर सैलमन किया गया। पत्रावली बाद तयरीब तकमील होकर दाखिल दर्ज है।

निर्णय लिखकर जाकर जुले मजालप में सुनाया गया।

  
(अमिता बिशोई)  
R.A.S.